

पटना में दिनांक-10 फरवरी, 2015 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

उद्योग विभाग

- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 1. | दैनिक वेतन मजदूर श्री बुद्धेश्वर पासवान को आदेशपाल के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-639, दिनांक-16.03.2006 की कंडिका-2 (3) को शिथिल करने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

गृह (आरक्षी) विभाग

- | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 2. | सारण जिला के दरियापुर थानान्तर्गत ग्राम दरिहारा भुआल में थाना एवं उसके संचालन हेतु कुल 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

गृह (आरक्षी) विभाग

- | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 3. | मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत डॉ० जग्रनाथ मिश्र महाविद्यालय परिसर में ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 11 (ग्यारह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

वित्त विभाग

- | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 5. | राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारों (मंत्रिगण, न्यायाधीशगण एवं पदाधिकारीगण) के आवास पर एक आवासीय कार्यालय हेतु स्वीकृत एवं उपलब्ध कराये गये फर्नीचर, उपस्कर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जीवन काल एवं Depreciation cost का निर्धारण तथा उनके द्वारा Depreciation cost पर सामग्रियों को retain करने का विकल्प दिये जाने पर Depreciation cost की राशि राजकोष में जमा कराकर उनके द्वारा चयनित सामग्रियों को उन्हें उपलब्ध कराने तथा शेष सामग्रियों का निष्पादन नियमानुसार करने के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

समाज कल्याण विभाग

- | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 6. | भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में STRAP एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में INDUCTION TRAINING ON REVISED MIS की प्रशासनिक स्वीकृति के परिपेक्ष्य में नई दरों को राज्य में वित्तीय वर्ष 2014-15 (01.04.2014) से लागू करने तथा राज्य योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में कुल वार्षिक लागत ₹ 3966.932 लाख के व्यय की स्वीकृति। | 6. | स्वीकृत। |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

शिक्षा विभाग

7. सैनिक स्कूल, तिलैया, कोडरमा, झारखंड के शैक्षणिक सत्र 2014-15 में अध्ययनरत बिहार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति मद में ₹ 10,78,500/- (दस लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ) रुपये मात्र एवं पोशाक धुलाई मद में ₹ 57,200/- (सन्तावन हजार दो सौ) रुपये मात्र अर्थात् कुल राशि ₹ 11,35,700/- (ग्यारह लाख पैंतीस हजार सात सौ) रुपये मात्र एवं बिहार राज्य से बाहर स्थित 19 (उन्नीस) सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2014-15 में अध्ययनरत बिहार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति मद में ₹ 88,86,500/- (अठ्ठासी लाख छियासी हजार पाँच सौ) रुपये मात्र एवं पोशाक धुलाई मद में ₹ 4,95,600/- (चार लाख पन्चानवें हजार छह सौ) रुपये मात्र अर्थात् ₹ 93,82,100/- (तिरानवें लाख बैरासी हजार एक सौ) रुपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।
7. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत, बिहार राज्य के पूर्वी चम्पारण जिला के अन्तर्गत पकड़ीदयाल अनुमंडल के मधुबन में डिग्री महाविद्यालय स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
8. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

9. राज्य के पाँच (5) जिलों यथा सुपौल, जमुई, कैमूर, बांका एवं गया में नवस्थापित पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान 36 (छत्तीस) शैक्षणिक तथा 58 (अंठावन) गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
9. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. राज्यादेश संख्या- 524 (6)/रा० दिनांक-08.04.13 द्वारा पटना जिला के पटना सदर अंचल में मौजा-दीघा, थाना संख्या-1/2 में प्रति परिवार 03 डिसमिल की दर से कुल 205 परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा-06.15 एकड़ खास महाल भूमि पर लाभान्वित परिवारों को लीज डीड के निबंधन शुल्क माफ करने के संबंध में।
10. स्वीकृत।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

11. राज्य के 36 जिला मुख्यालय में "प्रेस क्लब के भवन" निर्माण किये जाने के संबंध में।
11. स्वीकृत।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

12. सैयद शमीम अख्तर, सेवानिवृत्त उप निदेशक, जो दिनांक-01.01.2013 से 31.12.2013 संविदा के आधार पर नियोजित माननीय मुख्यमंत्री के जन-सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है, की सेवा एक वर्ष (दिनांक-01.01.2014 से 31.12.2014 तक) के लिए नियोजन अवधि विस्तार की गयी, सम्प्रति दिनांक-01.01.2015 से 31.12.2015 तक के लिए संविदा के आधार पर नियोजन अवधि विस्तार के संबंध में।
12. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

13. विभिन्न जिलों के 19 (उन्नीस) प्रखंडों में कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण निरीक्षण कमरा एवं परिसर निर्माण हेतु मानक प्राक्कलन पर स्वीकृति के संबंध में।
13. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2014-15 में उद्यमिता विकास संस्थान, पटना द्वारा विभिन्न तरह के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत ₹ 64.00 लाख (चौसठ लाख रुपये) सहायक अनुदान एवं ₹ 16.00 लाख (सोलह लाख) सब्सिडी की स्वीकृति का प्रस्ताव।
14. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान, पटना के कर्मचारियों का माह मार्च 2014 से माह फरवरी, 2015 तक का वेतनादि भुगतान हेतु कुल रूपये 28,00,000/- (अठाइस लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
15. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16. बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) के शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली, 2015 पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
16. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

17. बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्त नियमावली, 2015 पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
17. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

18. बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय (मध्यमा स्तर तक) प्रबन्ध समिति गठन नियमावली, 2015 पर स्वीकृति के संबंध में। 18. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

19. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उपमुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, मांग संख्या-19, उप शीर्ष-0105-पथ तट फार्म, विपत्र कोड-P2406018000105 के विषय शीर्ष-27 01-लघु कार्य में कुल ₹ 478.68 लाख (चार करोड़ अठहत्तर लाख अड़सठ हजार ₹) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। 19. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

20. वर्तमान वित्तीय वर्ष से राज्य के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक, साईकिल, प्रोत्साहन/मेधावृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र-छात्राओं के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता को कम करते हुए सामान्य एवं आरक्षित कोटि के छात्र छात्राओं हेतु उपस्थिति की अनिवार्यता क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 55 प्रतिशत करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। 20. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

21. राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले असहाय (Destitutes) व्यक्ति एवं 45 वर्ष तक की विधवा महिला को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छादित करने के संबंध में। 21. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

22. राज्य के सभी विभाग, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के अधीन क्रियान्वित होने वाले सभी निर्माण एवं मरम्मत संबंधित वैसे कार्यों, जिसकी प्राक्कलित राशि, बिहार ठिकेदारी नियमावली, 2007 की श्रेणी 3 तथा 4 में निर्बंधित संवेदकों हेतु निर्धारित राशि की सक्षमता के अनुरूप है, के निविदा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संवेदकों द्वारा निविदित दर तथा अन्य संवेदकों द्वारा निविदित दर समान (Equal) रहने की स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संवेदकों को कार्य आवंटित करने के संबंध में। 22. स्वीकृत।

अन्यान्य

सामान्य प्रशासन विभाग

23. आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों को सरकारी सेवा में आरक्षण देने के बिन्दु पर विशेषज्ञों की एक त्रि-सदस्यीय समिति का गठन।

23. स्वीकृत।

ह०/-
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार